रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2013/ ज्येष्ठ 16, 1935
No. 274] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2013/JYAISTHA 16, 1935

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2013

सा.का.नि. 359(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 2013 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 में:—

(क) नियम 2 में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

(ख ख) "औद्योगिक उपभोक्ता" से ऐसा उपभोक्ता अभिप्रेत है जो उस उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने के लिए पैकेज में रखी वस्तुओं को सीधे विनिर्माता से क्रय करता है;

(ख ग) "संस्थागत उपभोक्ता" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो परिवहन, होटल, चिकित्सालयों, या अन्य ऐसी सेवा संस्थाओं, जो उस संस्था द्वारा उपयोग के लिए विनिर्माता से सीधे पैकेज में रखी वस्तुओं को क्रय करती है, के संबंध में सुविधाओं या सेवा को भाड़े पर लेती है या उपयोग करती है;

(iii) उप-खंड (ट) में परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(ख) नियम 3 के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

(ग) नियम 18 में, उप-नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम 1 जुलाई, 2013 से अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"(8) (1) एल पी जी सिलेण्डरों की सभी विपणन कम्पनियां, विनिर्माता, पैकर्स, आयातकर्ता, या वितरक एल पी जी सिलेण्डर के वजन की जांच करने के लिए शुद्धता श्रेणी-III (अधिकतम 50 कि.ग्रा., ई-10 ग्रा.) का एक बैंक तुला या गैर-स्वचालित तोल उपकरण, डिजिटल या एनालॉग रखेंगे।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विपणन कम्पनियां, विनिर्माता, पैकर्स, आयातकर्ता, या वितरक, एल पी जी गैस सिलेण्डरों की सही मात्रा की माप करने या तोलने के लिए डिलीवरी मैन को उपकरण उपलब्ध करवाएंगे।"

(घ) नियम 32 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"(3) अपराधों के शमन की राशि–उक्त अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के शमन की राशि नीचे की सारणी में यथाविनिर्दिष्ट होगी:—

क्र. सं.	अपराध	शमन राशि	
		यदि शमन के लिए आवेदन खुदरा या थोक व्यापारी द्वारा किया जाता है	यदि शमन के लिए आवेदन विनिर्माताओं या आयातकर्ताओं द्वारा किया जाता है
	(1)	(2)	(3)
1.	धारा 29 का उल्लंघन	दो हजार रुपए	दस हजार रुपए
2.	धारा 36 की उप-धारा (1) का उल्लंघन	पांच हजार रुपए	पच्चीस हजार रुपए
3.	धारा 36 की उप-धारा (2) का उल्लंघन	दस हजार रुपए	पचास हजार रुपए
4.	अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर उत्पादों की बिक्री	दो हजार रुपए	पांच हजार रुपए

(ङ.) दूसरी अनुसूची के स्तम्भ (3) में:—

(क) क्रम संख्या (2) के सामने "5 कि.ग्रा. और 10 कि.ग्रा." शब्द और अंकों के पश्चात् "75 ग्रा., 125 ग्रा., 150 ग्रा., 250 ग्रा." शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 3 के सामने "300 ग्रा." शब्द और अंक के पश्चात् "350 ग्रा., 400 ग्रा." शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्रम संख्या 7 के सामने "500 ग्रा." अंकों और शब्दों के पश्चात् "750 ग्रा." अंक और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) क्रम संख्या 8 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:— "25 ग्राम से कम पर कोई प्रतिबंध नहीं, 25 ग्रा., 50 ग्रा., 75 ग्रा., 100 ग्रा., 125 ग्रा., 150 ग्रा., 200 ग्रा., 250 ग्रा., 500 ग्रा., 750 ग्रा., 1 कि.ग्रा., 1.5 कि.ग्रा., 2 कि.ग्रा.; और उसके पश्चात् के 1 कि.ग्रा. के गुणज में",

(ङ.) क्रम संख्या 9 के सामने, "100 ग्रा." अंक और शब्दों के पश्चात् "125 ग्रा." अंक और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(च) क्रम संख्या 10 के सामने:—

(i) "5 कि.ग्रा. के गुणज" अंक और शब्द के पश्चात् 50 ग्रा. से कम पर कोई प्रतिबंध नहीं, 175 ग्रा., 300 ग्राम., 750 ग्रा. अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "के आकार में किया जाएगा" शब्दों के पश्चात् "50 मि.ली., से कम पर कोई प्रतिबंध नहीं, 175 मि.ली., 300 मि.ली., 750 मि.ली., अंक और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(छ) क्रम संख्या 12 के सामने "2 कि.ग्रा." अंक और अक्षर के पश्चात् "2.5 कि.ग्रा., 3 कि.ग्रा." अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ज) क्रम संख्या 18 के सामने "(केवल केन में)" कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-10(6)/2013]

मनोज कुमार परीडा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 202(अ), तारीख 7 मार्च, 2011 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 426 (अ) तारीख 5 जून, 2012 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2013

G.S.R. 359(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (j) of sub-section (2) of Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely :—

1. (1) These rules may be called as the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2013.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011

(a) in rule 2,—

(i) after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely :—

(bb) " industrial consumer" means the consumer who buys packaged commodities directly from the manufacturer for use by that industry;

(bc) "institutional consumer" means any institution which hires or avails of the facilities or service in connection with transport, hotels, hospitals or such other service institutions which buy packaged commodities directly from the manufacturer for use by that institution;

(ii) in clause (k), the proviso shall be omitted;

(b) in rule 3, the Explanation shall be omitted;

(c) in rule 18, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, with effect from 1st day of July, 2013, namely :—

"(8) (1) All the marketing companies, manufacturers, packers, importers or distributors of Liquefied Petroleum Gas cylinder shall maintain a check weigher or non-automatic weighing instrument, digital or analogue, of Accuracy class-III (Max. 50 kg, e=10g) to check the weight of the Liquefied Petroleum Gas cylinder.

(2) The marketing companies, manufacturers, packers, importers or distributors referred to in sub-rule (1), shall provide to the delivery man to measure or weigh the correct quantity of the Liquefied Petroleum Gas cylinder.

(d) In rule 32, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) Sum of compounding of offences.— The sum of compounding of offences committed under the said Act shall be as specified in the following Table, namely:—

TABLE

Sr. No.	Offence	Compounding amount	
(1)	(2)	(3)	
		If the application for compounding is by retailers or wholesale dealers	If the application for compounding is by manufacturers or importers
1.	Contravention of section 29	Rupees two thousand	Rupees ten thousand
2.	Contravention of sub-section (1) of Section 36	Rupees five thousand	Rupees twenty five thousand
3.	Contravention of sub-section (2) of Section 36	Rupees ten thousand	Rupees fifty thousand
4.	Selling of products for more than the maximum retail price	Rupees two thousand	Rupees five thousand

(e) in the Second Schedule, in column (3),—

(a), against serial number 2, after the figures, letters and word, "5 kg and 10 kg", the figures and letters "75g, 125g, 150g, 250g," shall be inserted;

(b) against serial number 3, after the figures and letter, "300g", the figures and letters "350g, 400g" shall be inserted;

(c) against serial number 7, after the figures and letter "500g", the figures and letter "750g" shall be inserted;

(d) against serial number 8, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Below 25g no restriction, 25g, 50g, 75g, 100g, 125g, 150g, 200g, 250g, 500g, 750g, 1kg, 1.5kg, 2kg and thereafter in the multiple of 1kg";

(e) against serial number 9, after the figures and letter "100g", the figures and letter "125g" shall be inserted;

(f) against serial number 10,—

(i) after the word, figure and letters "multiple of 5kg" the words, figures and letters "below 50g no restriction, 175g, 300g, 750g" shall be inserted;

(ii) after the word "numerals", the words figures and letters, "Below 50 ml no restriction, 175 ml, 300 ml, 750 ml" shall be inserted;

(g) against serial number 12, after the figure and letters "2kg" the figures and letters "2.5kg, 3kg" shall be inserted;

(h) against serial number 16, the brackets and words "(in can only)" shall be omitted.

[F. No. WM-10(6)/2013]

MANOJ KUMAR PARIDA, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 202(E), dated the 7th March, 2011 and last amended, *vide*, notification number G.S.R. 426(E), dated the 5th June, 2012.

2522 GI/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-11005